बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

ई–मेल/विशेष दूत

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बेंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : बी1–3–80/2022– 4706 पटना, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 ई0।

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार साहु, भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

श्रीमती दीपमाला,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001.

विषय :– बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2022 – बिहार राज्य के विधान सभा में 93–कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से कराये जाने वाले उप निर्वाचन से संबंधित बिहार राजपत्र में प्रकाशित गजट की प्रति का प्रेषण।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–100/पूर्व अनु0–1/बिहार–वि0स0/4/2022 दिनांक 07.11.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2022 के अवसर पर 93–कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के दिनांक 10.11.2022 के असाधारण अंक में कर दिया गया है। राजपत्र की 03 (तीन) प्रतियाँ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

अनु0 :– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव –सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक : बी1–3–80/2022– 4706 पटना, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 ई0।

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथा उपर्युक्त।

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक : बी1–3–80/2022– 4706 पटना, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 ई0।

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक :बी1–3–80/2022– 4706 पटना, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 ई0।

प्रतिलिपिः– श्री सुजीत कुमार मिश्र, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

निवंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1944 (श0)

(सं0 पटना 960) पटना, वृहस्पतिवार, 10 नवम्बर, 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2022

सं० बी1–3–80/2022–218—बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2022– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 150 की उप धारा (1) और धारा–30 और धारा–56 के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान सभा में 93–कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से कराये जाने वाले उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–100/पूर्व अनु०–1/बिहार–वि.स./4/2022 दिनांक 10.11.2022 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव –सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001/तारीख–10 नवम्बर, 2022/19 कार्तिक, 1944(शक)

सं० 100/पूर्वअनु0–1/विहार–वि.स./4/2022––यतः विहार राज्य की विधान सभा में 93–कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अनिल कुमार सहनी के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 की धारा–8 तथा संविधान के अनुच्छेद–191 (1) (e) के प्रावधानों के तहत निरर्हित किये जाने के कारण दिनांक 03 सितम्बर, 2022 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराया जाना है; और

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:–

(अ) विहार राज्य से उक्त 93–कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 10 दिसम्बर, 2022 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:–

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	17 नवम्बर, 2022 (बृहस्पतिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	18 नवम्बर, 2022 (शुक्रवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	21 नवम्बर, 2022 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	05 दिसम्बर, 2022 (सोमवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	10 दिसम्बर, 2022 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग।

Election Commission Of India

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 10th November, 2022/19 Kartika, 1944(Saka)

No. 100/ES-I/BR-LA/4/2022:-WHEREAS, the seat of Sh. Anil Kumar Sahni, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 93-Kurhani Assembly Constituency in the State, has become vacant on 03rd September, 2022 by reason of his disqualification under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and Article 191(1)(e) of the Constitution; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 93-Kurhani Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 10th December, 2022 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election:-

(a)	the 17th November, 2022 (Thursday)	:	as the last date for making nominations ;
(b)	the 18th November, 2022 (Friday)	:	as the date for the secrutiny of nominations ;
(c)	the 21st November, 2022 (Monday)	:	as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d)	the 05th December, 2022 (Monday)	:	as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e)	the 10th December, 2022 (Saturday)	:	as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

Order By,
SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 960-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in